राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की पॉचवीं बैठक दि0 20.11.2008

एजेन्डा मद संख्या–26

विषयः– पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्रस्ताव।

अ– पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्यूनिकेशन फैसिलीटेटर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में डा0 एल0एस0 चौहान, उप महानिदेशक, (टी0बी0) सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.09.08 को प्रमुख सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम समीक्षा सम्बन्धी बैठक में किये गये अनुरोध के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव महोदया के आदेश संख्या–942 / पीएसएमएच / 08 दिनांक 18.09.08 द्वारा कम्यूनिकेशन फैसिलीटेटर्स की तैनाती हेतु निर्देश दिये गये हैं। अवगत कराना है कि भारत सरकार ने आर0एन0टी0सी0पी0 के द्वितीय चरण में आई0ई0सी0 गतिविधियों को सुदृढ करने के लिए 5–6 जिलों के मध्य एक कम्यूनिकेशन फैसिलीटेटर्स रखने के आदेश दिये हैं। जिसके लिए रू0 20,000/–प्रति वर्ष प्रति जनपद का प्राविधान किया गया है। कम्यूनिकेशन फैसिलीटेटर्स के लिए निर्धारित मापदण्ड निम्नवत है–

NAME OF DESIGNATION	NUMBER	ESSENTIAL QUALIFICATION	REMUNERATIONS	JOB RESPONSIBILITIES
Communication Facilitator	14 (one facilitator in 5-6 District)	**In Case of individual :** Degree/Diploma in Health Education/Mass Communication/Advertising/Public Relations with 2-3 years Experience in Media, Community Development/Social Welfare, Rural Development Activities or any other relevant field. **In the case of NGO or Agency :** Should be registered for a minimum of three years and have experience of undertaking awareness campaigns, social mobilization or similar activities for a minimum of one year. Should have at least 1 designated field level staff for allotted 5-6 districts with the above qualification.	Provision has been made for 20,000/- per district per year to meet the cost of services and travel and other costs of communication facilitator. The Communication Facilitator is expected to travel only within the 5-6 districts assigned.	1- **Facilitate planning and implementation of district level IEC** activities for 5-6 districts in consultation with the respective District TB Officers. 2- Facilitate organization of IEC activities including events around advocacy (as per the district action plan) at the District/community level. 3- Work under the over all guidance of State TB Officer in close coordination with the, IEC officer and respective District TB Officers 4- Help the respective DTOs to develop working relationship with the District Mass Media Officer/ Information Officers or equivalent and the Block Extension Educator (BEE). 5- Should visit each district at least 2-3 days every month. 6- Provide inputs in appropriate adaptation on RNTCP IEC prototype material for local use. 7- Any other RNTCP IEC related activity assigned by the STO and respective DTOs.
Communication Facilitator	14	PIP	Approved amount Rs. 14,00,000/-	

वर्ष 2008–09 की पी0आई0पी0 में कम्यूनिकेशन फैसिलीटेटर्स के मानदेय हेतु रू0 14,00,000/– की धनराशि स्वीकृत है। अतः समिति से अनुरोध है कि कम्यूनिकेशन फैसिलीटेटर्स का चयन Individual/NGO/Agency किसी एक माध्यम से किये जाने हेतु समिति कृपया अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

कृपया समिति अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

ब– डा0 एल0एस0 चौहान, उप महानिदेशक, (टी0बी0) सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.09.08 को प्रमुख सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम समीक्षा सम्बन्धी बैठक में किये गये अनुरोध के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव महोदया के आदेश संख्या–942/पी0एस0एम0एच0/08 दिनांक 18.09.08 द्वारा माइक्रोबायोलाजिस्ट एवं टी0बी0एच0आई0बी0 कोआर्डिनेटर के पदों पर तैनाती हेतु निर्देश दिये गये हैं। माइकोबायोलाजिस्ट एवं टी0बी0एच0आई0बी0 कोआर्डिनेटर के पदों की शैक्षिक योग्यता आदि का विवरण निम्नवत है–

क्र. सं.	पदनाम (तैनाती का स्थल)	पदों की सं0	आयु	नियत वेतन	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
1	माइक्रोबायोलाजिस्ट (आई.आर.एल., छत्रपति साहूजी महाराज, चि0वि0, लखनऊ हेतु)	1	18–35 वर्ष	रू0 30000.00	एम.बी.बी.एस. एवं एम.डी. (मेडिकल माइक्रोबायोलाजिस्ट अथवा काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त) उसी स्तर पर शैक्षिक योग्यता अथवा एम.एस.सी. एण्ड पी.एच.डी. इन माइक्रोबायोलाजी	• किसी रेपुटेटेड लैब में दो–तीन वर्ष का अनुभव। • अनुभव वाले माइक्रोबायोलाजिस्ट को वरीयता प्रदान की जायेगी।
2	टी.बी.एच.आई.वी. कोआर्डिनेटर (राज्य स्वा0 समि0, आर.एन.टी.सी.पी. हेतु)	1	18–35 वर्ष	रू0 18000.00	• एम.बी.बी.एस. मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त उसी स्तर पर शैक्षिक योग्यता। आवश्यक इन्टर्नशिप पूर्ण करना।	• एम.डी. प्रेवेन्टिव मेडिसिन या एपिडिमियोलाजी, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान जो मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त है।

भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट टी0बी0 कन्ट्रोल सोसायटी गाइड लाइन के पृष्ठ 68 पर निम्न प्रकार चयन समिति प्रस्तावित है।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन – अध्यक्ष
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश – उपाध्यक्ष
3. निदेशक, एस.टी.डी.सी., आगरा – सदस्य
4. संयुक्त सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य – सदस्य
5. स्टेट टी0बी0 आफिसर – सदस्य सचिव

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कथित दोनों पदों को भरे जाने की सहमति एवं प्रस्तावित चयन समिति का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें ताकि पदों को स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित कर चयन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

कृपया समिति अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

स– पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की वर्ष 2008–09 की पी0आई0पी0 में एम0ओ0डी0टी0सी0 के 8 पद स्वीकृत हैं। उक्त पदों पर भारत सरकार द्वारा दी गयी गाइड लाइन के अनुसार चयनोपरान्त नियुक्ति की जानी है। एम0ओ0डी0टी0सी0 के पदों की भारत सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता आदि का विवरण निम्नवत है।

S. N	Category/ Job title	Essential Qualification/ Requirements	Preferential Qualification	Job Specification/ Responsibilities
1	Medical Officer (MO-DTC)	1-MBBS or equivalent degree from institution recognized by Medical council of India. 2- Must have completed compulsory rotatory internship	Diploma/MD Public Health Tuberculosis & Chest Diseases One year experience in RNTCP work	Assist the DTO in planning, implementation, monitoring and supervision of the programme. Act as MOTC for the TB unit in the area of the DTC & responsible for smooth implementation of the RNTCP and achiving its objectives through subdistrict supervisory staff. Supervise TB Units and peripheral health institutions at least once per quarter Will act as referral point for patients with diagnostic problem drug reaction failure cases etc Monitoring the patients on treatment evaluation of treatment outcome at the end of the treatment identification of smear negative patients who require X-ray examination and defaulter retrieval., Ensure that MOs of neighboring peripheral centres follow the RNTCP Guidelines for diagnosis treatment, recording and reporting.

उपरोक्त संविदा के पद धारकों की तैनाती आवश्यकतानुसार प्रदेश के डी0टी0सी0 केन्द्रों पर की जायेगी। उक्त प्रस्तावित पदो के वेतन की धनराशि वर्ष 2008–09 की पी0आई0पी0 में स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट टी0बी0 कन्ट्रोल सोसायटी गाइड लाइन के अनुसार निम्नलिखित चयन समिति प्रस्तावित है।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन– अध्यक्ष
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाए, उ0प्र0 – उपाध्यक्ष
3. निदेशक, एस0टी0डी0सी0 आगरा – सदस्य
4. संयुक्त सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य – सदस्य
5. स्टेट टी0बी0 आफिसर – सदस्य सचिव

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त एम0ओ0डी0टी0सी0 के पदों को भरे जाने की स्वीकृति तथा प्रस्तावित चयन समिति का अनुमोदन एन0आर0एच0एम0 की कार्यकारी समिति से प्रदान करने की कृपा करें ताकि पदों को स्थानीय समाचार पत्रों मे विज्ञापित कर नियमानुसार चयन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

द– वर्ष 2008–09 के लिए एन0आर0एच0एम0 एडीशनालटी से जनपदों में क्षय रोग के लिए न्यूट्रीशन हेतु रू0 50,00,000/– (रू0 पचास लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के लिए यह प्रस्तावित है कि पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 6 जनपदों में बलगम धनात्मक रोगियों हेतु इन्टेन्सिव फेज में डाट्स के दिन एक अण्डा और एक पाव दूध रोगी को दिया जाये। इस मद में एक रोगी पर प्रतिदिन अनुमानतः रू0 10/– मात्र का व्यय आयेगा। इनीशियल फेज 2 महीने का होता है, जिस दौरान मरीज को 24 बार दवा खाने के लिए आना पड़ता है। इस तरह से एक मरीज पर रू0 240/– मात्र का व्यय आयेगा। रू0 50,00,000/– (रू0 पचास लाख) मात्र की उपलब्ध धनराशि से 20,833 मरीजों को न्यूट्रीशन हेतु यह सुविधा प्रदान की जा सकती है। अनुमानतः एक जनपद में लगभग 3500 बलगम धनात्मक रोगी होगें। यह व्यवस्था पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में निम्न 6 जनपदों में शुरू करने का प्रस्ताव है–:

1.	बाराबंकी	2.	उन्नाव
3.	मुरादाबाद	4.	बलिया
5.	महोबा	6.	फिरोजाबाद

उपरोक्त धनराशि के व्यय तथा कार्यक्रम में उपयोगिता का मूल्यांकन जिला स्तर पर निम्नांकित समिति का गठन कर किया जाना प्रस्तावित है।

1.	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरूष)	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका ,जिला चिकित्सालय (महिला)	सदस्य
5.	जिला क्षय रोग अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति प्रत्येक माह उक्त प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में धनराशि की कार्यक्रम में उपयोगिता का मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट महानिदेशालय को प्रेषित करेगी तथा जनपदों से सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा इसका अनुश्रवण कर अपनी आख्या महानिदेशालय को प्रेषित की जायेगी। तदनुसार उपरोक्त समिति की अनुशंशा एवं मण्डलीय अपर निदेशक की रिपोर्ट का अध्ययन कर प्रदेश के अन्य जनपदों हेतु क्षय रोगियों को न्यूट्रीशन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार किया जाना उचित होगा।

अतः यदि सहमत हों तो कृपया उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में इसका अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

य– वर्ष 2008–09 की पी0आई0पी0 में एन0आर0एच0एम0 एडीशनालटी से पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एम0डी0आर0 मरीजों हेतु औषधि मद में रू0 50,00,000/– (पचास लाख) मात्र की धनराशि स्वीकृत है। उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अभी तक एम0डी0आर0 हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। उल्लेखनीय है कि एम0डी0आर0 मरीजों का उपचार अति विशिष्ट योग्यता प्राप्त विशेषज्ञों की देख–रेख में ही उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। मैडिकल कालेज से इतर जनपद स्तर पर एम0डी0आर0 इलाज की विशेषज्ञता हेतु चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश के जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु धनराशि

का आवंटन किया जाना औचित्य पूर्ण नहीं प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में डा0 राजेन्द्र प्रसाद, विभागाध्यक्ष पलमोनरी मेडिसिन छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–1394 दिनांक 04.11.08 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा सेकेण्ड लाइन एण्टी टयूबरक्लोसिस ड्रग हेतु चिकित्सा विश्व विद्यालय लखनऊ के लिए औषधियों की मांग की गयी है। चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रदेश के अधिकांश जनपदों से ऐसे क्षय रोगी इलाज हेतु आते हैं, जिन्हें एम0डी0आर0 मेडिसिन की आवश्यकता होती है। उक्त के दृष्टिगत डा0 राजेन्द्र प्रसाद द्वारा 300 मरीजों हेतु औषधियों की मांगी की गयी है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि एम0डी0आर0 औषधियों हेतु एन0आर0एच0एम0 एडीशनालटी से रू0 50,00,000/– मात्र की व्यवस्था है। उपलब्ध बजट से ई0एस0आई0सी0, नई दिल्ली के दर अनुबन्ध में अनुमोदित दरों पर गणना अनुसार मात्र 195 मरीजों हेतु निम्नानुसार औषधियों का कय दर अनुबन्ध से किया जाना प्रस्तावित है।

क0सं0	औषधि का नाम	कय हेतु प्रस्तावित मात्रा
1	Kanamycin	34200
2	Ethionamide	138700
3	Cycloserine	138700
4	Ofloxacin (200mg)	277400

उरोक्त औषधियां ई0एस0आई0, नई दिल्ली के अनुमोदित दर अनुबन्ध से कय करने पर कुल रू0 49,71,135/– (उन्चास लाख इकहत्तर हजार एक सौ पैंतीस) मात्र का व्यय अनुमानित है। अतः यदि सहमत हों तो कृपया उपरोक्त औषधियों का कय ई0एस0आई0सी0, नई दिल्ली के दर अनुबन्ध में अनुमोदित दरों पर कय कर पलमोनरी मेडिसिन विभाग, छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ को आपूर्ति हेतु एन0आर0एच0एम0 की कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने की कृपा करें।

र– पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यकम के अन्तर्गत 43 जनपदों को विश्व बैंक द्वारा फन्डिंग की जाती है तथा अवशेष 27 जनपदों को जी0एफ0ए0टी0एम0 संगठन द्वारा फन्डिंग की जाती है। विगत वर्ष में कतिपय जी0एफ0ए0टी0एम0 सहायतित जनपदों में कार्यकम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का व्ययोपरान्त धनराशि अवशेष बच रही थी। जबकि विश्व बैंक सहायतित कतिपय जनपदों में धनराशि की मांग की जा रही थी। उक्त के दृष्टिगत उपमहानिदेशक (टी0बी0), सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से ई–मेल दिनांक 20 फरवरी 2008 द्वारा यह निर्देश मांगे गये कि जिन जी0एफ0ए0टी0एम0 जनपदों में धनराशि व्यय नहीं हो पा रही है उसे विश्व बैंक सहायतित जनपदों को आवंटित कर दी जाये। जिसके सन्दर्भ में उपमहानिदेशक, सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन भारत सरकार निर्देशानुसार महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवांए उत्तर प्रदेश से शासनादेश संख्या–1349/5–9–07–9 (32/2007) दिनांक 17 अप्रैल 2007 द्वारा प्राप्त वित्तीय अधिकारों के तहत रू0 88.00 लाख का अनुमोदन लेकर विश्व बैंक सहायतित जनपदों को आवंटित किया गया था। उक्त ऋण के रूप में दर्शायी गयी धनराशि को विश्व बैंक खाते से जी0एफ0ए0टी0एम0 खाते में समायोजन किया जाना वित्तीय नियमानुसार आवश्यक है। उपरोक्त

दोनों फन्डिंग एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि की एस0ओ0ई0 अलग–अलग बनती है तथा इनका आडिट भी अलग–अलग होता है। उक्त के दृष्टिगत दिनांक 15.07.08 को आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, की कार्यकारी समिति में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक खाते से विगत वर्ष में ऋण ली गयी धनराशि रू0 88.00 लाख को वर्ष 2008–09 में विश्व बैंक खाते से जी0एफ0ए0टी0एम खाते में समायोजन करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक खाते में उपलब्ध अवशेष रू0 63.54 लाख की धनराशि में से रू0 61.00 लाख जी0एफ0ए0टी0एम0 खाते में स्थानान्तरित कर जी0एफ0ए0टी0एम0 जनपदों को आवश्यक मदों में धनराशि आवन्टित की जायेगी। रू0 88.00 लाख में से अवशेष रू0 17.00 लाख की धनराशि भारत सरकार से पुनः आवंटन प्राप्त होने पर समायोजित की जायेगी।

कृपया समिति अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

ल– पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट टी0बी0 सेल स्तर पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संविदा के पदों पर निम्नांकित पद धारकों की संविदा अवधि उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को समाप्त हो रही है–

नाम	पद नाम	पूर्व में संविदा नवीनीकरण की तिथि	संविदा समाप्ति की तिथि	संविदा नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित तिथि
डा0 मो0 तैय्यब	चिकित्सा अधिकारी	19.12.2007	18.11.2008	20.11.2008
डा0 अनुज दीक्षित	चिकित्सा अधिकारी	02.04.2008 (कार्यभार ग्रहण)	01.03.2009	03.03.2009
श्री अनुज अवस्थी	आई0ई0सी0 अधिकारी	03.04.2008 (कार्यभार ग्रहण)	02.03.2009	04.03.2009
श्रीमती नूपुर अग्रवाल	एकाउण्टेन्ट	01.01.2008	30.11.2008	02.12.2008
श्री रूपेश गुप्ता	एकाउण्टेन्ट	25.10.2007	24.09.2008	26.09.2008
कु0 चन्द्रा श्रीवास्तव	सेकरेटेरियल असिस्टेन्ट	19.10.2007	18.09.2008	22.09.2008
कु0 रूचि रावत	डी0ई0ओ0	19.10.2007	18.09.2008	22.09.2008
कु0 शिखा रस्तोगी	फार्मासिस्ट	24.10.2007	23.09.2008	25.09.2008
श्री संजीव सिंह	फार्मासिस्ट	22.10.2007	21.09.2008	23.09.2008
श्री धीरेन्द्र कुमार	फार्मासिस्ट	24.10.2007	23.09.2008	25.09.2008
श्री जगदेव मौर्या	फार्मासिस्ट	22.10.2007	21.09.2008	23.09.2008
श्री अजय शुक्ला	वाहन चालक	02.01.2008	30.11.2008	02.12.2008

सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, भारत सरकार द्वारा संविदा कर्मियों हेतु निर्गत गाइड लाइन में कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाये जाने पर एक साल के लिए अनुबन्ध नवीनीकरण हेतु तथा संविदा नवीनीकरण के उपरान्त प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत तक मानदेय बढाये जाने के निर्देश हैं।

उपरोक्त संविदा कर्मियों का विगत संविदा की अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा है। अतः कृपया समिति उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार संविदा नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कृपया समिति अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

व– एन0आर0एच0एम0 एडीशनालिटी से जनपदों से क्षय रोग के लिये न्यूट्रीशन हेतु रु0 50,000/– मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के लिये यह प्रस्तावित है कि पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 6 जनपदों में बलगम धनात्मक रोगियों हेतु इन्सेन्टिव फेज में डाट्स के दिन एक अण्डा और एक पाव दूध रोगी को दिया जाये। इस मद में एक रोगी पर प्रतिदिन अनुमानतः रु0 10/– मा. का व्यय आयेगा। इनीशियल फेज 2 महीने का होता है, जिस दौरान मरीज को 24 बार दवा खाने के लिये आना पड़ता है। इस तरह से एक मरीज पर रु0 240/– मात्र का व्यय़ आयेगा। रु0 50.00 लाख मात्र की उपलब्ध धनराशि से 20,833 मरीजों को न्यूट्रीशन हेतु यह सुविधा प्रदान की जा सकती है। अनुमानतः एक जनपद में लगभग 3500 बलगम धनात्मक रोगी होंगे। यह व्यवस्था पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में निम्न 6 जनपदों में शुरू करने का प्रस्ताव है:–

1. बाराबंकी 2. उन्नाव 3. मुरादाबाद 4. बलिया 5. महोबा 6.फिरोजाबाद

उपरोक्त धनराशि के व्यय तथा कार्यक्रम में उपयोगिता का मूल्यांकन जिला स्तर पर निम्नांकित समिति का गठन कर किया जाना प्रस्तावित है

1.	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरुष)	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिक, जिला चिकित्सालय (महिला)	सदस्य
5.	जिला क्षय रोग अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति प्रत्येक माह उक्त प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में धनराशि की कार्यक्रम में उपयोगिता का मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट महानिदेशालय को प्रेषित करेगी तथा जनपदों से सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा इसका अनुश्रवण कर अपनी आख्या महानिदेशालय को प्रेषित की जायेगी। तदनुसार उपरोक्त समिति की अनुशंसा एवं मण्डलीय अपर निदेशक की रिपोर्ट का अध्ययन कर प्रदेश के अन्य जनपदों हेतु क्षय रोगियों को न्यूट्रीशन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार किया जाना उचित होगा।

समिति से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।